स० अ. 12018/1/2011-प्रशा०। ।

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 16.03.2018

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के **सलाहकार(पोषण)** पद के भर्ती नियमो को संशोधित कर रहा है। इस संबंध में प्रस्तावित भर्ती नियमों का मसौदा तैयार किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य अभिकरणों से विचार करने से पूर्व समस्त हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। ऐसी कोई भी टिप्पणी दिनांक 16.04.18 तक अवर सचिव (प्रशा०), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा नं- 330 'सी', निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 को प्रेषित की जा सकती है तथा ई-प्रति ak.sharma39@nic.in पर भेजी जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि।

(अनिल कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : (011)23061323

सेवा में,

समस्त संबंधितों को।

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :..................... 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सलाहकार (पोषण) भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सलाहकार (पोषण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, सलाहकार (पोषण), समूह 'क', भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सलाहकार (पोषण)	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -13 (118500 - 214100 रुपए) तथा गैर व्यावसायिक भत्ता (एन पीए) नियमानुसार उनके लिए जो चिकित्सीय अर्हताएं रखते हों।	लागू नहीं होता	50 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी -आयु सीमा की महत्वपूर्ण तिथि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार निर्धारित होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं|	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायो-केम्सिट्री में मेडिसन में डाक्टर या बायो केम्सिट्री / फूड व न्यूट्रिशन / होम साइंस/फूड साइंस के संबद्ध क्षेत्रों में डॉक्टरेट की उपाधि| (ii) केन्द्र/राज्य/संघ शासित सरकार/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ शिक्षण संस्थान / पीएसयू / अर्ध सरकारी / स्वायत्त या सांविधिक संगठन से प्रशासनिक अनुभव सहित बायो केम्सिट्री या होम साइंस/ फूड साइंस/फूड व न्यूट्रीशन / फूड व डाइटीटिक्स/ अप्लाइड न्यूट्रिशन या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्य का अनुभव या शिक्षण अनुभव| **वांछनीय:** (1) बायो केम्सिट्री या होम साईंस / फूड साईंस / फूड व न्यूट्रिशन / फूड व न्यूट्रिशन / फूड व डायटीटिक्स/ अप्लाइड न्यूट्रिशन या पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय या इंडेक्स जर्नल में दो प्रकाशन द्वारा यथा साक्ष्यित अनुसंधान का अनुभव| (2) पूरक आहार, कम लागत वाली पोषण डाइट के विकास तथा न्यूट्रीशन मॉनीटरिंग आदि से संबंधित कार्यक्रमों का कम से कम दो वर्षों का अनुभव| नोट - अर्हताएं, अभ्यर्थियों की दशा में, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन कारणों को लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं, जब अभ्यर्थी अन्यथा सुयोग्य है|	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियॉ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) , जिसके न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी/ स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा की हो; या (ख) जो कॉलम (7) में यथा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हो। नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है, की अवधि, 5 वर्ष से अधिक नहीं होंगी | प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
पुष्टीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती के मामले में) 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक।

फा. सं. ए 12018/1/2013- स्था.III

(अनिल कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार